INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 4 | MAY – 2024

बिहार के गरीबी उन्मूलन में नया 20- सूत्री कार्यक्रम की भूमिकाः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. दिनेश कुमार
सहायक प्रध्यापक (अतिथि),
राजनीति विज्ञान विभाग, अनुग्रह नारायण सिं ह कॉलेज, बाढ़।

शोध सारांशः

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अबतक बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रहा है। वर्ष **2021** के नीति आयोग के रिपोर्ट पर गौर करे तो स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति कुछ ठिक नहीं है। इसके अलावा बिहार बाढ़ और सुखार का मार प्रत्येक वर्ष झेलता है। ऐसी स्थिति में **20** सूत्री जैसे कार्यक्रम जिसका उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन कर लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार लाना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अब आवश्यकता इस बात की है कि यह लेख विश्लेषण करता है कि क्या यह कार्यक्रम उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम है और इस प्रश्न पर गौर करती है कि इस कार्यक्रम से क्या गरीबी का उन्मूलन हुआ है। इस लेख द्वारा उचित परिवर्तनों का सुक्षाव देकर निष्कर्ष निकाला गया है। इस लेख के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के एक साधन के रूप में **20** सूत्री को दर्शाते हुए विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए जहां कि अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, **20** सूत्री कार्यक्रम मिल का पत्थर साबित हो सकता है। ऐसे विषय पर अध्ययन करके राज्य और समाज को एक नई दिशा प्रदान किया जा सकता है।

शब्द कुँजीः बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाढ़, सुखार, रोजगार, आवास।

प्रस्तावनाः

भारत सरकार द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम की शुरूआत तत्कालीन प्रधनमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने **1975** में शुरू की। इसे समय-समय पर **1982, 1986** तथा **2006** में इसकी पुनः संरचना की गई। **2006** में शुरू की गई इस कार्यक्रम को बीसूका, **2006** के नाम से भी जाना जाता है, जो **1** अप्रैल, **2007** से परिवर्तनीय है। यह कार्यक्रम गरीबी हटाने के साथ-साथ

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, आवास, शिक्षा, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा अनेक अन्य योजनाओं पर बल देने के लिए बनाया गया है जिनका अंतिम लक्ष्य गाँवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करना है।

नया बीस सूत्री कार्यक्रम **2006** में मूलरूप से **20** सूत्र और **66** मदें है जिनकी निगरानी विभिन्न संबंधित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग की जाती है। **66** मदों में से एक अर्थात् सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) को **1** अप्रैल **2008** से "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" नामक एक अन्य मद में सम्मिलित कर दिया गया है। **31** दिसम्बर, **2009** से इसका नाम बदलकर "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम" रख दिया गया है। शेष **65** मदों से **19** मदों की निगरानी इस समय तिमाही आधार पर की जा रही है। इसके अतिरिक्त **12**वीं योजना में "स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" को संशोधित किया गया है और इसे "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" का नाम दिया गया है। लक्षित जनवितरण प्रणाली के स्थान पर धीरे-धीरे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लाया जा रहा है। इस समय बीसूका **2006** के अन्तर्गत **65** मदों की निगरानी की जा रही है। **65** मदों में **162** मानक चिन्हित हैं।

नया **20** सूत्री कार्यक्रम वर्ष **2006** में तत्कालीन प्रधनमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया। इसके नाम में **20** सूत्री का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार ने देश के सर्वांगीण विकास हेतु जिन योजनाओं का निर्माण किया उसमें **20** प्रमुख बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है, जो निम्नलिखित हैः

1. समन्वित ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को मजबूत बनाना।
2. जनमानस को अधिकार सम्पन्न बनाने तथा शीघ्र न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. सिंचाई क्षमता में अत्यधिक वृद्धि करने, सूखी जमीन पर खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने तथा उपकरण आदि तैयार कर उन्हें लाभ पहुँचाया जाए।
4. खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने तथा बंधुआ मजदूरी का पुनर्वास करने का कारगर उपाए किया जायेगा।
5. उचित दर की दुकान की संख्या बढ़ाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाएगा तथा उपभोक्ता के हितों के लिए अभियान चलाया जाएगा।
6. गाँवों में जिन परिवारों के मकान नहीं है उन्हें मकानों के लिए जमीन दी जाएगी और मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।
7. सभी के लिए शुद्ध पीने के पानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जायेगा।
8. जन-जन के स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करना, ताकि गंभीर बिमारियों का से लोगों को बचाया जा सके।
9. **6** से **14** वर्ष की उम्र के बच्चों, विषेषकर बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा और वयस्कों में अशिक्षा दूर करने के काम में स्वयंसेवी संस्थाओं और छात्रों से सहयोग लिया जाएगा।
10. अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भलाई के लोककल्याणी कार्यक्रम और तेज करना, ताकि इन वर्गों का विकास हो सके।
11. महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु उन्हें विभिन्न योजनओं से जोड़ा जाएगा और राजनीतिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
12. बाल कल्याण हेतु समन्वित बाल विकास योजना और आंगनवाड़ी केन्दों को और अधिक सगल बनाया जाएगा।

13. युवा विकास हेतु खेल को प्रोत्साहित करना तथा इसके साथ ही राष्ट्रीय सद्भावना योजना को गति प्रदान करना।
14. वस्ती संधार हेतु सात सूत्रों अर्थात भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना।
15. पेड़ लगाने के कार्यक्रमों, सामाजिक और कृषि वृक्षारोपन कार्यक्रमों तथा गोबर गैस व उर्जा के अन्य साधनों के विकास कार्यक्रमों पर मुश्तैदी से अमल में लाया जायेगा।
16. सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत विकलांगों एवं अनाथों का पुनर्वास एवं वृद्ध जनों का कल्याण करना है।
17. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण करना।
18. बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, बिजली संस्थानों के काम-काज बेहतर बनाया जायेगा और सभी गाँवों में बिजली पहुँचाई जाएगी।
19. देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की व्यवस्था करना।
20. देश के शासन व्यवस्था को ई-शासन से जोड़ना।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों से प्राप्त कार्य निष्पादन रिपोर्टो के आधार पर बीसूका **2006** के अन्तर्गत शामिल किये गए कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी करता हैं। मंत्रालय ने एक वेब आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली विकसित की है। ताकि राज्य सरकारों और केन्द्र के नोडल मंत्रालयों से सूचना शीघ्रता पूर्वक एकत्र की जा सके।

वर्ष **2016-17** के अन्तर्गत **65** मदों में से **19** मदों (इसके पूर्व **20** मदों) की निगरानी **37** मानकों पर मापकर त्रौमासिक आधार पर की जा रही है, जिनमें से **21** मानकों की निगरानी केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार की जा रही है। बीसूका **2006** के अन्तर्गत शेष मदों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जा रही हैं क्योंकि संबंधित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा इन मदों के बारे में जानकारी वार्षिक आधार पर ही उपलब्ध करायी जाती है।

बीस सूत्री कार्यक्रम **2006** के लिए निगरानी तंत्र को वर्तमान केन्द्रीय, राज्य तथा जिला स्तरीय निगरानी के अलावा ब्लॉक स्तरीय निगरानी को भी शामिल करते हुए अब अधिक विस्तृत किया गया है। **20** सूत्री कार्यक्रम **2006** के तहत सभी योजनाओं/मदों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर बीसूका **2006** के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निगरानी समितियाँ गठित कर ली गई है।

बिहार प्रारभ से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रहा है। इसके पीछे एक नहीं अनेक कारण है। इसके पिछड़ेपन के पीछे बिहार के भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था भी जिम्मेदार है। वर्तमान में बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल हो गया है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स **2019-20** के अनुसार भारत का **2030** तक गरीबी हटाने का लक्ष्य अभी काफी दूर है। इंडेक्स के अनुसार देश का कोई भी राज्य **2030** तक 'गरीबी मुक्त भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के सही पथ पर नहीं है। हालांकि तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसे राज्य गरीबी हटाने के मामले में शीर्ष रैंक पाने पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल के उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो पता चलता है कि वे भी गरीबी को रोकने के अपने प्रयासों में फिसल रहे हैं। इंडेक्स के अनुसार भारत ने जहां इस वर्ष **100** में से **50** अंक अर्जित किये हैं। वो अपने पिछले साल के प्रदर्शन से **4** अंक पिछड़ गया है। वर्ष **2018** में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत को **54** अंक मिले थे। रिपोर्ट के अनुसार देश का कोई भी

राज्य सही पथ पर नहीं है। सच यही है कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में अधिकांश राज्यों का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घट गया है।

2015 में **193** देशों ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के ढांचे को अपनाया था, जिसके तहत दुनिया भर में विकास की नीतियों, सरकारी प्राथमिकताओं और विकास की प्रक्रिया मापने के मैट्रिक्स को फिर से परिभाषित किया गया है। इसके तहत **17** वैश्विक लक्ष्य और **169** टारगेट रखे गए हैं। हालांकि, अभी जो एमपीआई जारी किया गया है, वह पांच साल पीछे के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर है और इन **5-6** वर्षों में इन क्षेत्रों में हुई प्रगति को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय इंडेक्स को तैयार करते समय ग्लोबल एमपीआई के **10** इंडीकेटरों को भी शामिल किया गया है, ताकि वैश्विक कार्यप्रणाली और रैंकिंग के साथ तालमेल रखा जा सके। रिपोर्ट के अनुसार यह सूचकांक परिवारों की ओर से सामना किए जाने वाले अभावों को शामिल करता है। भारतीय एमपीआई के तीन समान आयाम-स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। इसकी पहचान **12** संकेतकों से की गई है- पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसवपूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते।

इस बहुयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक भारत में गरीबी की श्रेणी में केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्य निचले पायदान पर हैं। केरल में सिर्फ **0.71** प्रतिशत लोग गरीब हैं। इसके बाद गोवा में **3.76** प्रतिशत, सिक्किम में **3.82** प्रतिशत, तमिलनाडु में **4.89** प्रतिशत और पंजाब में **5.59** प्रतिशत लोग ही गरीब हैं। इसी तरह कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। जैसे पुडुचेरी में **1.72** प्रतिशत, लक्षद्वीप में **1.82** प्रतिशत, अंडमान और निकोबार द्वीप में **4.30** प्रतिशत और चंडीगढ़ में **5.97** प्रतिशत लोग गरीब बताए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य के तहत भारत सभी उम्र के पुरुष, महिला और बच्चों में से कम से कम आधे की गरीबी घटाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आंध्र प्रदेश और सिक्किम को अलग कर दें तो कोई भी राज्य अपने लक्ष्य को हासिल करने की सही दिशा में नहीं है। इंडेक्स के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश एक वर्ष में सबसे अधिक **18** अंक फिसल गया है। जबकि बिहार और ओडिशा में **12** अंकों की गिरावट आई है। इसके बाद गोवा और झारखंड में **9** अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।

बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो बेहद गरीबी से जूझ रहे हैं। इन जिलों में अधिकतर आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं और संघर्ष कर रही है। किशन गंज इनमें से बिहार का सबसे गरीब जिला है। जबकि **11** जिले ऐसे हैं जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं, बिहार की राजधानी पटना में सबसे अधिक अमीर हैं। पटना ज़िले में अमीरों की संख्या सबसे अधिक है। मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर भी ऐसे जिले हैं, जहां अमीरों की ठीक-ठाक संख्या है। नीति आयोग के रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ की देश में बिहार सबसे अधिक गरीबों वाला राज्य है। बिहार की आधी से अधिक आबादी (**51. 91** प्रतिशत) गरीब है।

बिहार के जिलों की आर्थिक स्थिति को लेकर ये खुलासा नीति आयोग की रिपोर्ट में हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार के **38** जिलों में से किशनगंज सबसे गरीब जिला है. नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के पांच जिलों में **60** फीसदी लोग अमीर वर्ग के हैं, जबकि **11** जिलों में **60** फीसदी से ज्यादा लोग गरीब वर्ग के हैं. सीमांचल क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल किशनगंज जिले में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले **64.75** प्रतिशत लोग हैं, इसके बाद अररिया (**64.65** प्रतिशत), मधेपुरा जिला (**64.43** प्रतिशत), पूर्वी चंपारण (**64.13** प्रतिशत), सुपौल (**64.10** प्रतिशत), जमुई (**64.01** प्रतिशत), सीतामढ़ी (**63.46** प्रतिशत), पूर्णिया (**63.29** प्रतिशत), कटिहार (**62.80**

प्रतिशत), सहरसा (**61.48** प्रतिशत) और शिवहर (**60.30** प्रतिशत) से हैं. मुंगेर (**40.99** फीसदी), रोहतास (**40.75** फीसदी), सीवान (**40.55** फीसदी) और भोजपुर (**40.50** फीसदी) शामिल हैं.

साहित्य समीक्षाः

किसी भी प्रकार के शोध कार्य में साहित्यावलोकन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शोध कार्य को वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं समाजोपयोगी बनाने हेतु इसका गहन अध्ययन आवश्यक है। शोध के दौरान जिन साहित्यों का अध्ययन किया गया है, वे निम्नलिखित हैं-

1. डॉ0 बी0 बी0 भट्टाचार्या, नया **20** सूत्री कार्यक्रम, भारती प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ट-**343**। इस पुस्तक के अन्तर्गत इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर **20** सूत्री कार्यक्रम का स्वरूप एवं प्रशासनिक संरचना का विवेचन किया है। जिसमें **20** सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आनेवाले **65** मदों का उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक संरचना के अन्तर्गत केवल राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन निदेशालय एवं विभिन्न नोडल मंत्रालयों का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में इस योजना को व्यवहारिक धरातल में सक्रिय करने हेतु कोई भी सुझाव का अभाव दिखाता है। जहाँ तक बिहार में इसकी भूमिका का सवाल है तो इसका वर्णन नहीं किया गया है।
2. डॉ0 रेणु श्रीवास्तव, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन में इनके द्वारा केवल प्रशासनिक क्रियाकलापों पर बल दिया गया हैं। इस पुस्तक में भारतीय प्रशासन में राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यपालिका के क्रियाकलापों विवेचन किया गया है। इसमें शोध विषय के दूसरे पक्ष यानि **20** सूत्री कार्यक्रम का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है।
3. रमण कुमार का शोध प्रबंध- किशनगंज जिला में योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका है। है। इस पुस्तक में किशनगंज जिला का इतिहास, भौगोलिक संरचना, जलवायु, कृषि, उद्योग एवं विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कई अन्य योजनाओं का उल्लेख किया गया है, परन्तु **20** सूत्री कार्यक्रम पर कहीं भी चर्चा नहीं की गयी हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया **15** सूत्री कार्यक्रम, जिसमंव शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए, एकीकृत बाल विकास की सुचित व्यवस्था, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, मौलाना आजाद शिक्षण संस्थानों को और अधिक सुदृढ़ करना, गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना को बढ़ाना, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कौशल उन्नयन करना, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को पुनर्वास, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, अल्पसंख्यों की मलिन बस्तियों का सुधार, ग्रामीण आवास योजनाओं में उचित हिस्सेदारी, राज्य व केन्द्रिय योजनाओं में हिस्सेदारी तथा आर्थिक क्रियाकलापों की अभिवृद्धि जैसे विषयों का वर्णन किया गया है।

शोध का उद्देश्यः

प्रस्तावित शोध-विषय का उद्देश्य निम्नलिखित है-

1. तत्कालिन समस्या पर ध्यान केन्द्रित कर शोध को प्रासंगिक बनाना।
2. **20**-सूत्री के प्रशासनिक कार्यान्वयन की वृहद अध्ययन पर जोड़ देना।

3. बिहार में **20** सूत्री कार्यक्रम किस रूप में अबतक सक्रिय है उन तमाम पहलुओं पर गहनता से प्रकाश डालना।
4. गया जिले में किस प्रकार से **20** सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसका पता लगाना, ताकि इसका लाभ बिहार के अन्य जिलों को प्राप्त हो सके।
5. इसके अन्तर्गत विशेषकर गरीबी निवारण हेतु चलाये जा रहे योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, सिंचाई, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विद्युत, शिक्षा, स्वसस्थ्य, मनरेगा, आजीविका पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
6. ग्रामीण विद्युतीकरण पर प्रकाश डाला जाएगा।
7. उद्योग तथा शिक्षा, वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों को जिला प्रशासन मुश्तैदी एवं दृढ़ता से लागू कर लोगों के जीवन को सुधरने और गरीबी उन्मूलन का दावा तथा प्रशासनिक संरचना एवं वित्त प्रशासन की भूमिका का अध्ययन भी किया जाएगा।

शोध परिकल्पनाः

किसी भी शोध कार्य के लिए परिकल्पना का होना अनिवार्य है। यह अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में मदद करता है। इस शोध की परिकल्पना निम्नलिखित हैः

- वर्ष **2006** में नया **20** सूत्री कार्यक्रम की घोषणा हुई और **1** अप्रैल, **2007** से प्रवर्तनीय है, तब से इस क्षेत्र में निरन्तर कार्य हो रहे है, फिर भी बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में खड़ी है।
- गया जिला में नया **20** सूत्री कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बिहार के अन्य जिलों की तुलना में यहाँ पर गरीबी कम हुई है।
- **20** सूत्री योजना भारत सरकार का एक विस्तृत कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें गरीबी उन्मूलन हेतु सभी योजनाओं को शामिल किया गया है।

अध्ययन की पद्धतिः

प्रस्तुत लेख हेतु विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक एवं अन्य नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुए अध्ययन में मौलिकता प्रदान किया जाएगा। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आकड़ों का समावेश किया गया है। प्राथमिक आकड़ों का संग्रह प्रत्यक्ष सर्वेक्षण रिपोर्टों एवं अनुसूची के माध्यम से किया गया है। द्वितीयक आकड़ों का संकलन डायरी, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्र, विभिन्न वेबसाइट एवं पुस्तकों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार एवं बिहार सरकार के कई विभागों के वार्षिक रिर्पोट शामिल है, जैसे-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रमीण आजीविका मिशन, पंचायती राज्य विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग, समाज कल्याण विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग, कृषि विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग आदि।

निष्कर्षः

सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में **20** सूत्री कार्यक्रम की भूमिका अहम रही है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि गरीबी निवारण, रोजगार सृजन, किसानों को अनुदान, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, तथा अन्य कल्याण कारी योजनाओं के माध्यम से लाभुको को सहायता करने में इस कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण

रूप में रही है। परन्तु अभी भी हम अपने लक्ष्यों से काफी दूर है। ऐसे में इस कार्यक्रम की हमे निरन्तरता आवश्यक है। वशर्ते इसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। जैसे इसके क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व व पारदर्शिता की।

सन्दर्भः

1. डॉ0 बी0 बी0 भट्टाचार्या, नया 20 सूत्री कार्यक्रम, भारती प्रकाशन, वराणसी, 2011, पृष्ट- 74-78।
2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन निदेशालय भारत सरकार, प्रगति रिपोर्ट, 2014-15, पृष्ट-5-7।
3. ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, वार्षिक प्रतिवेदन, 2016-17, पृष्ट-38-37।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना, भारत सरकार, प्रतियोगिता दर्पण, मई, अंक, 2018।
5. 15 सूत्री कार्यक्रम, भारत सरकार, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार वार्षिक प्रतिवेदन, 2014-15, पृष्ट- 10-14।
6. गजराज, डॉ० पदम सिंह, (2019), मनरेगा, अनुसूचित जाति, जनजनति का विकास एवं सशक्तिकरण, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
7. भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, बिहार सरकार, वार्षिक रिपोर्ट, 2016-17, पृष्ट- 12-17।
8. लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग, बिहार सरकार, वार्षिक रिपोर्ट, 2016-17, पृष्ट- 5-7।
9. मिलेनियम डेवलपमेन्ट गोल, प्रतियोगिता दर्पण, जून 2016, पृष्ट- 51-53।
10. कुमार, प्रमोद, (2013), मजदूरी दर खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण शहरी प्रवासन पर मनरेगा का प्रभावः एक समेकित रिपोर्ट, कृषि विकास और ग्रामीण हस्तांतरण केन्द्र, दिल्ली।